रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 15, 2013/पौष 25, 1934
No. 22] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 15, 2013/PAUSA 25, 1934

गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2013

सा.का.नि. 23(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उप-धारा (2) के खंड (ख)द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल चिकित्सा काडर (समूह 'ग')पद भर्ती नियम, 2010 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने से लोप किया गया है, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल में पैरा चिकित्सा काडर (समूह 'ग')के पदों पर भर्ती का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल पैरा चिकित्सा काडर (समूह 'ग' योधक पद)भर्ती नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि .**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **चिकित्सक दृष्टया योग्यता.**—इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति जो भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल चिकित्सा मैनुअल खंड-III में यथा विनिर्दिष्ट चिकित्सा प्रवर्ग शेप-I में हैं, इन नियमों के उपबंधों के अधीन प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या पुनर्नियोजन द्वारा नियुक्ति सहित प्रोन्नति और नियुक्ति के लिए पात्र होंगे ।

6. **भारत के गैर नागरिकों की अपात्रता .**— कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, लिखित में केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के सिवाय, इन नियमों के अधीन नियुक्त नहीं किया जाएगा

परन्तु इन नियमों की कोई बात नेपाल या भूटान की प्रजा की नियुक्ति या नियोजन को वर्जित नहीं करेगी ।

7. **अधिवर्षिता.**—इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति उस मास के, जिसमें वह सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करता है, अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत होगा ;

परन्तु वह व्यक्ति जिसके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख होगी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा ।

(2) किसी भी व्यक्ति को अधिवर्षिता पर सेवानिवृति के लिए विहित आयु के परे सेवा विस्तार मंजूर नहीं किया जाएगा ।

8. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

9. **व्यावृति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. सहायक उप–निरीक्षक (मैडिक)	71* (2013) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन बैंड– 1, 5200–20200 रू0 + ग्रेड वेतन 2800 रू0	चयन पद

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा
(6)
लागू नही होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नही	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नही होता।	लागू नही होता।	लागू नही होता।	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।

(11)

प्रोन्नति द्वारा:

ऐसे हैड कांस्टेबल(चिकित्सा और भण्डार) जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो और यथाविहित पूर्व प्रोन्नति पाठ्यकम या पाठ्यकमों को सफलता पूर्वक पूरा किया हो।

टिप्पण 1.— जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2.— प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी 2006 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा वह तारीख जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा का उक्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति(प्रोन्नति के संबंध में विचार के लिए) की जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :– 1. उप महानिरीक्षक(चिकित्सा), भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – अध्यक्ष 2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य 3. ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग परामर्श के कार्यक्षेत्र से छूट प्राप्त है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. हैड कांस्टेबल (सेविका)	96* (2013) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड– 1, 5200–20200 रू0, ग्रेड वेतन 2400 रू0	लागू नही होता।

(6)

18 और 25 वर्ष के बीच

1. सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है
2. केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पांच वर्ष और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए तीन वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण : आयु– सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू–कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा–जिले के पांगी उपखंड, संघ राज्य क्षेत्र अंदमान और निकोबार द्वीप या संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)
(1) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो या समतुल्य। (2) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से सहायक नर्सिंग प्रसूति विद्या पाठ्यक्रम।	लागू नही होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

(3) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की नर्सिंग परिषद् में रजिस्ट्रीकृत। (4) शारीरिक मान दंडः ऊंचाईः 157 सें.मी. शिथिलीकरणः गढ़वाली, कुमाउंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा के प्रवर्गो में आने वाले अभ्यर्थी और असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर राज्य तथा जम्मू--कश्मीर क्षेत्र के लेह और लद्दाख क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थी } 155 सें.मी. उत्तर पूर्वी राज्यों, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से आने वाले अभ्यर्थी } 152.5 सें.मी. यथा पूवोक्त उत्तर पूर्वी राज्यों और वामविंग उग्रवाद से प्रभावित जिलों से आने वाले अनूसूचित जनजाति से संबंधित सभी अभ्यर्थी } 147.5 सें.मी. यथा पूवोक्त उत्तर पूर्वी राज्यों और वामविंग उग्रवाद से प्रभावित जिलों से भिन्न अनूसूचित जनजाति से संबंधित सभी अभ्यर्थी } 150 सें.मी. छाती : लागू नही होता वजन– चिकित्सा मापदंडों के अनुसार ऊंचाई और आयु के तदनुरूप। (5) चिकित्सा मानक : (i) दृष्टि : बिना सुधार, अर्थात बिना चश्मा पहने दोनों आंखों की न्यूनतम दूरी दृश्यता 6/6 और 6/9 होनी चाहिए। (ii) अभ्यर्थियों को संहत जानु(नॉक–नी), चपटा पॉव, फूली हुई नसें या भैंगी ऑखों वाला नहीं होना चाहिए और उच्च रंग दृश्यता वाला होना चाहिए। उन्हें अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जिसमें उनके कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण पालन में बाधा आने की संभावना हो।		

(6) शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा और चिकित्सीय परीक्षा में अर्हता प्राप्त करना आवश्यक है।		

(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नही होता

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में) जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :– (1) कमांडेट या मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी), भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – अध्यक्ष (2) ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य (3) सहायक कमांडेट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य	लागू नही होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. हैड कांस्टेबल (चिकित्सा और भंडार)	457* (2013) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड–1, 5200–20200 रू0, ग्रेड वेतन 2400 रू0	चयन	लागू नही होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नही होता

(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत सशस्त्र बल कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति या पुंनर्नियोजन भी है)	**प्रोन्नति द्वारा :** ऐसे कांस्टेबल(चिकित्सा) में से, जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो या कांस्टेबल (मैडिक्स) और कांस्टेबल (जी0डी0) की श्रेणी में पाँच वर्ष सम्मिलित सेवा की हो, जिसमें कांस्टेबल (मैडिक्स) के रूप में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा की हो एवं निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में अर्हता प्राप्त की हो :– (i) बुनियादी चिकित्सा पाठ्यक्रम; (ii) उच्च चिकित्सा पाठ्यक्रम या चिकित्सा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम ; या (iii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से फार्मेसी में डिप्लोमा **टिप्पण 1.**— जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध

में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2.— प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी 2006 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा वह तारीख जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा का उक्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति द्वारा : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभागों में समतुल्य या सदृश पद धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके पास प्रोन्नति के लिए विहित आवश्यक अनुभव और अर्हता है।

टिप्पण 1.— फीडर प्रवर्गों के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नही होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2.— प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3.— प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं

	होगी। **टिप्पण 4.**— प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी 2006, वह तारीख जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। **भूतपूर्व सैनिकों के लिए : (प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन)** सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं यदि कोई हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्बंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :— (1) कमांडेंट या मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी), भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — अध्यक्ष (2) ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य (3) सहायक कमांडेट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. कांस्टेबल (मेडिक्स)	346* (2013) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड– 1, 5200–20200 रू0, ग्रेड वेतन 2000 रू0	लागू नही होता

(6)
18 और 23 वर्ष के बीच 1. सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक

शिथिल की जा सकती है।

2. केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पांच वर्ष और अन्य पिछड़े वर्गों के कार्मिकों के लिए तीन वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण.— आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू–कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा–जिले के पांगी उपखंड, संघ राज्य श्रेत्र अंदमान और निकोबार द्वीप या संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)
(1) **अर्हताएं :** (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से विज्ञान के साथ मैट्रिकुलेशन परीक्षा उत्तीर्ण की हो; और (2) **शारीरिक मापदंड:** **पुरूषों के लिए** ऊंचाई: 170 सें.मी. **शिथिलीकरण:** गढ़वाली, कुमाउंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा के प्रवर्गों में आने वाले अभ्यर्थी और असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर राज्य तथा जम्मू–कश्मीर क्षेत्र के लेह और लद्दाख क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थी } 165 सें.मी. उत्तर पूर्व राज्यों अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से आने वाले अभ्यर्थी } 162.5 सें.मी. यथा पूर्वोक्त उत्तर पूर्वी राज्येां और वामविंग उग्रवाद प्रभावित जिलों से आने वाले अनूसूचित जनजाति से संबंधित सभी अभ्यर्थी } 160 सें.मी. यथा पूर्वोक्त उत्तर पूर्वी राज्येां और वामविंग उग्रवाद प्रभावित जिलों से भिन्न अनूसूचित जनजाति से संबंधित सभी अभ्यर्थी } 162.5 सें.मी.	लागू नही होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

छातीः .

	साधारण	उत्तर पूर्वी राज्यों से भिन्न पर्वतीय क्षेत्रों से भिन्न पुरूष	सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की जनजातियां
(बिना फुलाए)	80 से.मी.	78 से.मी.	76 से.मी.
(फुलाने पर)	85 से.मी.	83 से.मी.	81 से.मी.

उत्तर पूर्वी राज्यों अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से आने वाले अभ्यर्थी

(बिना फुलाए)	77 से.मी.
(फुलाने पर)	82 से.मी.

वजन– चिकित्सा मापदंडों के अनुसार ऊंचाई और आयु के तदनुरूप।

महिला के लिएः

ऊंचाईः	157 सें.मी.
शिथिलीकरणः गढ़वाली, कुमाउंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा के प्रवर्गो में आने वाले अभ्यर्थी और असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर राज्य तथा जम्मू–कश्मीर क्षेत्र के लेह और लद्दाख क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थी	155 सें.मी.
अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के उत्तर पूर्वी राज्यों से आने वाले अभ्यर्थी	152.5 सें.मी.
यथा पूवोक्त उत्तर पूर्वी राज्यों और वामपंथी माओवाद प्रभावित जिलों से आने वाले अनूसूचित जनजाति से संबंधित सभी अभ्यर्थी	147.5 सें.मी.
यथा पूवोक्त उत्तर पूर्वी राज्यों और वामपंथी माओवाद प्रभावित जिलों से भिन्न अनूसूचित जनजाति से संबंधित सभी अभ्यर्थी	150 सें.मी.

छाती : लागू नही होता वजन– चिकित्सा मापदंडों के अनुसार ऊंचाई और आयु के तदनुरूप। (3). **चिकित्सा मापदंड :** (i) दृष्टि : बिना सुधार, अर्थात बिना चश्मा पहने दोनों आंखों की न्यूनतम दूरी दृश्यता 6/6 और 6/9 होनी चाहिए। (ii) अभ्यर्थियों को संहत जानु(नॉक–नी), चपटा पॉव, फूली हुई नसें या भैंगी ऑखों वाला नहीं होना चाहिए और उच्च रंग दृश्यता वाला होना चाहिए। उन्हें अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जिसमें उनके कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण पालन में बाधा आने की संभावना हो। (4). शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा लिखित परीक्षाऔर चिकित्सीय परीक्षा में अर्हता प्राप्त करनी होगी।		

(10)	(11)
आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	**आमेलन द्वारा :** भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे कांस्टेबल (जी0डी0) जिन्होंने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो और बुनियादी चिकित्सा पाठ्यक्रम में अर्हता प्राप्त हों।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में) जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :– (1) कमांडेंट या मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी), भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – अध्यक्ष (2) ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य (3) सहायक कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य	लागू नही होता।

[फा. सं. I-12013/2/2012-संग.]

हरीश चन्द्र, उप-सचिव

टिप्पण :— मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक सा0का0नि0 323(अ) द्वारा तारीख 15 अप्रैल, 2010 को प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 2013

G.S.R. 23(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992) and in supersession of the Indo-Tibetan Border Police Force, Medical Cadre (Group 'C') Posts Recruitment Rules, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' posts in Para Medical Cadre in the Indo-Tibetan Border Police Force, namely :-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Para Medical Cadre (Group 'C' combatised Posts) Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**— These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of post, classification and Pay Band and Grade Pay or Pay Scale.**— The number of posts, their classification and the pay band and Grade Pay or Pay Scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the above said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc..**— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.**— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Medical Fitness.**— Not withstanding anything contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, as specified in the Indo-Tibetan Border Police Force, Medical Manual Volume-III, shall be eligible for appointment and promotion including appointment by deputation or re-employment under the provisions of the rules.

7. **Ineligibility of non-citizens of India** — No person who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of Central Government in writing, be appointed under these rules:

Provided that nothing contained in this rule shall debar the appointment or employment of a subject of Nepal or Bhutan in the Force.

8. **Superannuation.** — (1) Every person appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of month in which he attains the age of Fifty seven years :

Provided that the person whose date of birth is the first day of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of superannuation.

(2) No person shall be granted extension in service beyond the prescribed age of retirement on superannuation.

9. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

10. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post of non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Assistant Sub-Inspector (Medic)	71* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' (Non-Gazetted), Non-Ministerial	Pay Band-1, Rs. 5200-20200 plus Grade Pay Rs. 2800/-	Selection post.

Age limit for direct recruits	Education and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable	By promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(11)
By Promotion: Head Constable(Medical and Stores) with five years regular service in the grade and have successfully completed pre-promotion course or courses as prescribed. **Note.1**— Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2.**— For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay band and grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Commission.

226 GI/13-4

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Deputy Inspector General(Med), Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman, 2. Chief Medical Officer, Indo-Tibetan Border Police Force - Member, 3. Senior Medical Officer or Medical Officer Indo-Tibetan Border Police Force - Member.	Exempted from the purview of the Union Public Service Commission consultation.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Head Constable (Midwife)	96* (2013) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, (Non-Ministerial)	PB-1, 5200-20200 plus Grade Pay Rs. 2400/-	Not applicable

Age limit for direct recruits
(6)
Between 18 and 25 years. 1. Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. 2. Relaxable upto five years in the case of Scheduled Caste or Scheduled Tribe candidates and three years for Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time. **Note.**— The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradaesh, the Union territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).

Education and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(7)	(8)
(1) Passed 10th examination from a recognised Board or equivalent. (2) Auxiliary Nursing Midwifery Course from a recognised institution. (3) Registered in Nursing Council of Central Government or State Government. (4) Physical Standards: **Height** : 157 cms Relaxation : Candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and Candidates belonging to the State of Assam, Himachal Pradesh, Kashmir and Leh and Ladakh regions of Jammu and Kashmir. : 155 cms Candidates hailing from North-Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura : 152.5 cms All candidates belonging to Scheduled Tribes hailing From the North- Eastern States as above and the Left Wing Extremism affected Districts 147.5 cms All candidates belonging to Scheduled Tribes other then North-Eastern States and Left Wing Extemism Affected Districts. 150 cms **Chest:** Not applicable **Weight :** Proportionate to height and age as per medical standards.	Not applicable

(5) Medical Standards : (i). **Eye sight:** Minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction i.e. without wearing glasses (ii). Candidates must not suffer from knock knees, flat foot, varicose veins or squint in the eyes and should possess high colour vision. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of duties. (6) Must qualify physical standard test, physical efficiency test, written test and medical test.	

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(9)	(10)
Two years for direct recruits	By direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption in the grade from which promotion or deputation or absorption is to be made
(11)
Not applicable

If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of: 1. Commandant or Chief Medical Officer (Selection Grade), Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman 2. Senior Medical Officer, Indo-Tibetan Border Police Force - Member 3. Assistant Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Head Constable (Medical and Stores)	457* (2013) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, (Non-Ministerial)	PB-1, 5200-20200 plus Grade Pay Rs. 2400/-	Selection

(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(9)	(10)
Not applicable	By promotion failing which by deputation (inclusive of deputation or re-employment of Armed Forces personnel)

(11)
By promotion: Constable (Medics) with five years regular service in the grade or with combined five years service as Constable (Medics) and Constable (GD) out of which minimum two years as Constable (Medics) who have qualified following courses: (i) Basic Medic Course (ii) Advance Medic Course or Medic Refresher Course; or (iii) Diploma in Pharmacy from a recognised institution. **Note 1.**— Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2.**— For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission. **By deputation :** Officials in the Central Government or State Government departments holding analogous post on regular basis and having the requisite experience and qualifications prescribed for promotion. **Note 1.**— The departmental officers in the feeder categories who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2.**— The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3.**— The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-two years as on the closing date of receipt of applications.

Note 4.— For the purpose of appointment on deputation basis the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

For Ex-servicemen: (Deputation or re-employment)

The Armed Force personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed, if any, shall also be considered and if selected such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for promotion) consisting of : 1. Commandant or Chief Medical Officer (Selection Grade), Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman 2. Senior Medical Officer, Indo-Tibetan Border Police Force - Member 3. Assistant Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Constable (Medics)	346* (2013) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, (Non-Ministerial)	PB-1, 5200-20200 plus Grade Pay Rs. 2000/-	Not applicable

(6)

Between 18 and 23 years.

1. Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

2. Relaxable upto five years in the case of Scheduled Caste or Scheduled Tribe candidates and three years for Other Backward Classes and other special categories of personnel in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

Note.— The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradaesh, the Union territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).

(7)

(1) **Qualification:**

Passed Matriculation examination with science from a recognised Board or Institution.

(2) **Physical Standards:-**
For male:

Height : 170 cms

Relaxation : Candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and Candidates belonging to the State of Assam, Himachal Pradesh, Kashmir and Leh and Ladakh regions of Jammu and Kashmir. : 165 cms

Candidates hailing from North-Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura : 162.5 cms

All candidates belonging to the Schedule Tribes hailing From the North- Eastern States as above and the Left Wing Extremism affected Districts : 160 cms

All candidates belonging to the Scheduled Tribes other then North-Eastern States and Left Wing Extemism affected Districts. : 162.5 cms

Chest :

	General	Men belonging to hill areas other then North Eastern States	Tribals of all States/ Union Territories
(Unexpanded)	80 cms	78 cms	76 cms
(Expanded)	85 cms	83 cms	81 cms

Candidates hailing from North-Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura

(Unexpanded)	77 cms
(Expanded)	82 cms

Weight : Proportionate to height and age as per medical standards.

(8)

Not applicable

226 GI/13-6

For Female:

Height : 157 cms

Relaxation : Candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and Candidates belonging to the State of Assam, Himachal Pradesh, Kashmir and Leh and Ladakh regions of Jammu and Kashmir. : 155 cms

Candidates hailing from North-Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura : 152.5 cms

All candidates belonging to the Schedule Tribes hailing From the North- Eastern States as above and the Left Wing Extremism affected Districts : 147.5 cms

All candidates belonging to the Scheduled Tribes other then North-Eastern States and Left Wing Extemism affected Districts. 150 cms

Chest: Not applicable

Weight : Proportionate to height and age as per medical standards.

(3) Medical Standards :

i. Eye sight: Minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction i.e. without wearing glasses.

ii. Candidates must not suffer from knock knees, flat foot, varicose veins or squint in the eyes and should possess high colour vision. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of duties.

(4) Must qualify physical standard test, physical efficiency test, written test and medical test.

(9)	(10)
Two years for direct recruits	By absorption failing which by direct recruitment

(11)	
By absorption : From amongst the Constable(GD) of the Indo-Tibetan Border Police Force who have rendered three years regular service in the Indo-Tibetan Border Police Force and qualified Basic Medics Course.	
(12)	**(13)**
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of: 1. Commandant or Chief Medical Officer (Selection Grade), Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman 2. Senior Medical Officer, Indo-Tibetan Border Police Force - Member 3. Assistant Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member	Not applicable.

[F. No. I-12013/2/2012-Org.]

HARISH CHANDER, Dy. Secy.

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 323 (E), dated the 15th April, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.